मैं साल निवास करें, किसी भी लगाये उलझे आज हमारे या हमारे किसी भी उत्तराधिकारी अथवा परिवार को कुछ भी सम्बन्ध या सरोकार नहीं रहा और नहीं कभी भी भविष्य में रहेगा। इस सम्पत्ति को सम्बन्ध में क्रेता को पहिले इसका परिचय लोग अंचल अधीक्षक ने करा कर, अपने नाम से तबादले रसीद जारी किया करेंगे।

यह कि मैंने क्रेता को यह बात भी अच्छी तरह से समझा दिया है कि इसके संबंध में मेरे द्वारा इसमें लिया गया किसी भी प्रकार का ऋण अथवा कर्देन इत्यादि बाकी आए तो पूरी तरह से वसूल करने की पूरी जिम्मेवारी विक्रेता की होगी तथा इसमें क्रेता को कुछ भी सम्बन्ध या सरोकार नहीं है।

यह कि उक्त सम्पत्ति स्वरोजगार के अन्तर्गत सरकारी सम्पत्ति नहीं है, और नहीं सरकार द्वारा अधिग्रहण सैनिक अथवा असैनिक कार्यों के लिए नहीं लिया गया है। उक्त सम्पत्ति लिसेंस से मुक्त है। संक्षेप में यह सम्पत्ति हमारी हैसियत के सभी दोषों से पूर्णतः मुक्त है।

इस लिए मैंने अपने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वस्थता में अपनी इच्छा तथा प्रसन्नता से इस विक्रय पत्र (बैनामा बेचना असली खाता) को क्रेता के हक में लिख दिया कि समय पर काम आए मेरे प्रमाण रहे।

भविष्य में जब भी नालिश या सिवरेज (पानी निकासी) बनाया जाएगा तो 25000 रुपये हमारे लेखपालों अपने हिस्से का देंगे।

संगीता कुमारी - 29.09.2014

प्रमाणित
अब्दुल्लाह अंसारी
वसीका नवीस, ला०नं०-78/03